Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

दिनेश सिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपुरोहित साकिन ठुकराना हाल रतासर तहसील सूरतगढ

बनाम

मन्दासिंह पुत्र सादक सिंह जाति मुसलमान साकिन ठुकराना तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 प्र0सं0:– 41/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.11.2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा भूमि का टीसी आवंटित थी। तथा अप्रार्थी नं0 1 रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा भूमि के ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से खसरा नं0 205/2 वर्तमान खसरा नं0 666/205 की 25–00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी नं0 1 को प्रदान किये गये है, को खारीज फरमाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 ता 3 द्वारा फार्म नं0 3 के साथ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 की सत्य प्रतिलिपि पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा भूमि का आंवटी था, अप्रार्थी नं0 1 को खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा भूमि के ही खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिये थें, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा बिना रिकार्ड जांच किये सम्वत् 2065 में अप्रार्थी नं0 1 को 205/2 की 25–00 बीघा का आंवटी दर्ज कर दिया एवं खातेदारी अधिकार भी खसरा नं0 205/2 की 25–00 बीघा के अप्रार्थी नं0 1 को दे दिये। अप्रार्थी नं0 2 व 3 उक्त रकबा के खरीददार कृषक है। माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस मिलने पर अप्रार्थी नं0 2 व 3 द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष घोषणात्मक दावा प्रस्तुत करने पर दावा प्रकरण सं0 49/2022 पर दर्ज किया जाकर सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा राजस्व कर्मचारियो की गलती को मानते हुये अप्रार्थी नं0 2 व 3 का दावा दिनांक 07.11.2022 को स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 2 व 3 को रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा के खातेदार कृषक घोषित कर अप्रार्थी नं0 2 व 3 का नाम रोही ठुकराना के खसरा नं0 205/2 वर्तमान खसरा नं0 666/205 से पूर्ण रूपेण कलमजन किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। निर्णय की प्रति संलग्न है। अतः प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र निराधार हो चुका है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण की बहस का समर्थन कर शिकायत प्रार्थना पत्र कोई अनुतोष शेष नही रह जाने के कारण खारीज करने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। शिकायत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 07.11.2022 का अवलोकन किया गया। जिससे साबित हैं कि प्रार्थी द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण को रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा का आंवटी मानते हुये उन्हे खरा नं0 208/2 के स्थान पर खसरा नं0 205/2 वर्तमान खसरा नं0 666/205 की 25–00 बीघा के गलत रूप मिले खातेदारी अधिकार को निरस्त करने की याचना की हैं। अप्रार्थीगण द्वारा भी वादपत्र के माध्यम से स्वयं को रोही ठुकराना के खसरा नं0 205/2 वर्तमान खसरा नं0 666/205 की 25–00 बीघा में स्वयं के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा के खातेदार कृषक की घोषणा चाही गई। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अप्रार्थीगण का वादपत्र स्वीकार कर जरिये निर्णय दिनांक 07.11.2022 द्वारा अप्रार्थीगण नं0 2 व 3 को रोही ठुकराना के खसरा नं0 208/2 की 25–00 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जा चुका हैं एवं खसरा नं0 205/2 वर्तमान खसरा नं0 666/205 की 25–00 बीघा भूमि सम्पूर्ण रूप से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अप्रार्थीगग के हक में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 द्वारा प्रार्थी को मिल चुका हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारीज किया जाना हम हचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना [illegible] नियम 14 (4) भू राजस्व अधिनियम 1970 सारहीन होने के कारण खारीज [illegible] जा[illegible] है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर [illegible] आदेश खुले न्याया[illegible] सुनाय गया । Signature Not Verified Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar Date: 2023.01.23 12:23:23 IST Reason: SelfAttested (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर) *

Scanned with OKEN Scanner